न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी जिला नागौर
बईजलास श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस
मुकदमा संख्या 60/20

वादी :–
महिपाल पुत्र छोटुराम जाति मेहतर निवासी रोहिसी
तहसील रियांबड़ी जिला नागौर

प्रतिवादीगण :–
तहसीलदार रियांबड़ी
पटवारी हल्का रोहिसा तहसील रियांबड़ी जिला नागौर

दावा बाबत रेकर्ड दुरूस्ती अंतर्गत धारा 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक :– 15/7/24

वादी निम्नलिखित वाद पेश करता है :–

1–यह है कि ग्राम रोहिसी के खसरा नंबर 32 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नबर 726 रकबा 3.19 हैक्टर कुल रकबा 3.20 हैक्टर में सें 1/25 हिस्सा की भूमि वादी की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद है। खतौनी नकल संलग्न है।

2–यह है कि जब वादी के हक में नामान्तकरण दर्ज हुआ जिसमें वादी का नाम किशनाराम पुत्र मांगूराम दर्ज कर दिया जो महज एक भूल है।

3–यह है कि विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम राजस्व कर्मचारीयो की गलती से सुरेश राम पुत्र छोटुराम दर्ज हो गया। जबकि वादी का वास्तविक व सही नाम महिपाल पुत्र छोटुराम है। वादी का सही नाम महिपाल पुत्र छांटुराम है ग्राम में इसी नाम से वादी का जाना व पहचाना जाता है। वादी के समसत दस्तावेजात में महिपाल पुत्र छोटुराम दर्ज है। जिसके लिए वादी यह रेकर्ड दुरूस्ती का वाद पेश कर रहा है। इसलिए वादी का नाम सुरेशराम के स्थान पर महिपाल दर्ज किया जाकर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त किया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण से जबाब चाहा गया। मगर काफी समय उपरांत जबाब प्राप्त नहीं हुआ। तत्पश्चात वकील वादी की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। समस्त विवेचन से वादी का वाद स्वीकार किया जाता है कि मौजा रोहिसी की राजस्व सीमा में खेत खसरा नंबर 32 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 726 रकबा 3.19 हैक्टर कुल रकबा 3.20 हैक्टर में सें 1/15 हिस्सा के राजस्व रेकार्ड में वादी के गलत नाम सुरेशराम के स्थान पर वादी का सही नाम महिपाल दर्ज किया जावे। तहसीलदार रियांबड़ी उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्वि करके राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त किया जावें। तहसीलदार रियांबड़ी को तहरीर जारी हो। इसी आशय का डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15/7/24.........को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला नागौर